

उत्तर प्रदेश शासन,
नियोजन अनुभाग-1,
संख्या- 779(1)/35-1-2019-2/(1)/2019
लखनऊ दिनांक: 15 अक्टूबर , 2019

प्रदेश में सतत विकास के लक्ष्य (एस0डी0जी0) 16 गोल्स, 169 लक्ष्यों व उनसे संबंधित इंडीकेटर्स पर आधारित हैं। मा0 मुख्यमंत्रीजी द्वारा सतत विकास गोल्स के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु दिये गये निर्देशों के क्रम में गोल संख्या-01 (गरीबी उन्मूलन) हेतु अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, 30प्र0 शासन की अध्यक्षता में एस0डी0जी0 विजन- 2030, स्ट्रेटजी 2024 एवं 2022 के क्रियान्वयन हेतु निम्नवत समिति का गठन किया जाता है। यह समिति अन्तर्विभागीय समन्वय के माध्यम से कार्यवाही सम्पन्न करेगी।

| | |
|---|---------------|
| 1- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग | अध्यक्ष |
| 2- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग | सदस्य |
| 3- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, कृषि विभाग | सदस्य |
| 4- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, संस्थागत वित्त विभाग | सदस्य |
| 5- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग | सदस्य |
| 6- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग | सदस्य |
| 7- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग विभाग | सदस्य |
| 8- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग | सदस्य |
| 9- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, राजस्व(30प्र0 राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण) | सदस्य |
| 10- गोल सं0-1 से संलग्न सूची के अनुसार संबंधित विभाग | विशेष आमंत्री |

उक्त समिति के निम्न कार्य होंगे:-

- समिति अपने-अपने गोल्स से जुड़े हुए सभी संबंधित विभागों के साथ आवश्यकतानुसार समन्वय स्थापित करते हुए गोल्स के लक्ष्यों की पूर्ति के लिए प्रत्येक माह बैठक आयोजित करेगी। इसका कार्यवृत्त मुख्यमंत्री कार्यालय, मुख्य सचिव, कार्यालय व नियोजन विभाग को प्रेषित करेंगे।
- समिति द्वारा अपने गोल के अभी तक के कार्यों का मूल्यांकन करते हुए आगामी वर्षों में यथा वर्ष 2022, वर्ष 2024 एवं वर्ष 2030 के लिए ठोस कार्य योजना वर्षवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों के साथ एक माह के अन्दर तैयार कर मुख्य सचिव, 30प्र0 शासन एवं मुख्यमंत्री कार्यालय को प्रेषित करते हुए उसकी प्रति नियोजन विभाग को भी उपलब्ध करायी जायेगी।
- आगामी वर्षों के लिए अपने गोल्स के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ली जाने वाली महत्वपूर्ण योजनाओं तथा उनकी प्राप्ति हेतु निजी क्षेत्र की साक्षेदारी को चिन्हित करते हुए उनके लिए आर्थिक उपाशयों/वित्तीय संसाधनों का आंकलन करते हुए वर्ष 2020 से अपने एक्शन प्लान तैयार करना।
- नीति आयोग द्वारा जारी एस0डी0जी0 इण्डिया इंडेक्स में रेखांकित इंडीकेटर्स के सापेक्ष प्रदेश स्तरीय इंडीकेटर्स सुधारने हेतु प्रभावी कदम उठाना एवं समुचित आंकड़े भारत सरकार को ससमय उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी सुनिश्चित करना।
- प्रदेश हेतु स्टेट इंडीकेटर्स फ्रेमवर्क तैयार करना तथा तैयार किये गये इंडीकेटर्स को नीति आयोग द्वारा तैयार किये गये डैशबोर्ड के साथ लिंक करना।
- जिला स्तरीय इंडीकेटर्स के चिन्हांकन के उपरान्त इसे स्टेट इंडीकेटर्स से लिंक करते हुए नेशनल इंडीकेटर्स फ्रेमवर्क के साथ लिंक करना।


- 7- एस0डी0जी0 फ्रेमवर्क में अपने गोल को प्रदेश में सबसे निचली इकाई तक ले जाने का कार्य चरणबद्ध तरीके से यथा- सर्वप्रथम जनपद स्तर पर फिर नगर/ग्राम पंचायत स्तर पर पहुंचाने का कार्य करना। मा० मुख्यमंत्रीजी द्वारा इस समिति की बैठक प्रत्येक तीन माह में एक बार एवं मुख्य सचिव, ३०प्र० शासन द्वारा एस0डी0जी0 टास्क फोर्स की बैठक के साथ इस समिति की प्रत्येक दो माह में एक बैठक आहूत की जायेगी।

राजेन्द्र कुमार तिवारी
मुख्य सचिव।

⁽¹⁾
संख्या: ७७९(१)/३५-१-२०१९ - तद् दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नीति आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली।
- 2- सलाहकार (सुश्री संयुक्ता सम्मदार), नीति आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली।
- 3- प्रमुख सचिव मा० मुख्यमंत्री, ३०प्र० शासन।
- 4- कृषि उत्पादन आयुक्त, ३०प्र० शासन।
- 5- स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, ३०प्र० शासन।
- 6- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव।
- 7- समिति के सदस्यगण।
- 8- समस्त विभागाध्यक्ष, ३०प्र० शासन।
- 9- समस्त मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी, ३०प्र०।
- 10- प्रधान महालेखाकार (जनरल एण्ड सोशल सेक्टर आडिट), ३०प्र०, इलाहाबाद।
- 11- निदेशक, दीर्घकालीन योजना प्रभाग, नियोजन विभाग, योजना भवन, लखनऊ।
- 12- संबंधित नोडल अधिकारी, राज्य योजना आयोग।
- 13- समस्त प्रभागाध्यक्ष, राज्य नियोजन संस्थान।
- 14- नियोजन अनुभाग-2/3/4 एवं राज्य योजना आयोग-1/2
- 15- निदेशक, अर्थ एवं संख्या प्रभाग।
- 16- सुश्री पीयूष एन्टोनी, सोशल स्पेशलिस्ट, यूनीसेफ, लखनऊ।
- 17- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

 (कुमार कमलेश)
 अपर मुख्य सचिव।

नियोजन अनुभाग-1,
संख्या- 779(2)/35-1-2019-2/(1)/2019
लखनऊ दिनांक: १५ अक्टूबर, 2019

प्रदेश में सतत विकास के लक्ष्य (एस0डी0जी0) 16 गोल्स, 169 लक्ष्यों व उनसे संबंधित इंडीकेटर्स पर आधारित हैं। मा० मुख्यमंत्रीजी द्वारा सतत विकास गोल्स के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु दिये गये निर्देशों के क्रम में गोल संख्या-02 (शून्य भुखमरी) हेतु अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, खाद्य एवं रसद विभाग, ३०प्र० शासन की अध्यक्षता में एस0डी0जी0 विजन- 2030, स्ट्रेटजी 2024 एवं 2022 के क्रियान्वयन हेतु निम्नवत समिति का गठन किया जाता है। यह समिति अन्तर्विभागीय समन्वय के माध्यम से कार्यवाही सम्पन्न करेगी।

| | |
|---|---------------|
| 1- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, खाद्य एवं रसद विभाग | अध्यक्ष |
| 2- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, कृषि विभाग | सह-अध्यक्ष |
| 3- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग | सदस्य |
| 4- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग | सदस्य |
| 5- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, महिला कल्याण एवं बाल विकास पुष्टाहार विभाग (पोषण मिशन) | सदस्य |
| 6- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, सहकारिता विभाग | सदस्य |
| 7- गोल सं0-2 से संलग्न सूची के अनुसार संबंधित विभाग | विशेष आमंत्री |

उक्त समिति के निम्न कार्य होंगे:-

- 1- समिति अपने गोल से जुड़े हुए सभी संबंधित विभागों के साथ आवश्यकतानुसार समन्वय स्थापित करते हुए गोल के लक्ष्यों की पूर्ति के लिए प्रत्येक माह बैठक आयोजित करेगी। इसका कार्यवृत्त मुख्यमंत्री कार्यालय, मुख्य सचिव कार्यालय व नियोजन विभाग को प्रेषित करेंगे।
- 2- समिति द्वारा अपने गोल के अभी तक के कार्यों का मूल्यांकन करते हुए आगामी वर्षों में यथा वर्ष 2022, वर्ष 2024 एवं वर्ष 2030 के लिए ठोस कार्य योजना वर्षवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों के साथ एक माह के अन्दर तैयार कर मुख्य सचिव, ३०प्र० शासन एवं मुख्यमंत्री कार्यालय को प्रेषित करते हुए उसकी प्रति नियोजन विभाग को भी उपलब्ध करायी जायेगी।
- 3- आगामी वर्षों के लिए अपने गोल्स के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ली जाने वाली महत्वपूर्ण योजनाओं तथा उनकी प्राप्ति हेतु निजी क्षेत्र की साक्षेदारी को चिन्हित करते हुए उनके लिए आर्थिक उपायाँ/वित्तीय संसाधनों का आंकलन करते हुए वर्ष 2020 से अपने एकशन प्लान तैयार करना।
- 4- नीति आयोग द्वारा जारी एस0डी0जी0 इण्डिया इंडेक्स में रेखांकित इंडीकेटर्स के सापेक्ष प्रदेश स्तरीय इंडीकेटर्स सुधारने हेतु प्रभावी कदम उठाना एवं समुचित आंकड़े भारत सरकार को ससमय उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी सुनिश्चित करना।
- 5- प्रदेश हेतु स्टेट इंडीकेटर्स फ्रेमवर्क तैयार करना तथा तैयार किये गये इंडीकेटर्स को नीति आयोग द्वारा तैयार किये गये डैशबोर्ड के साथ लिंक करना।
- 6- जिला स्तरीय इंडीकेटर्स के चिन्हांकन के उपरान्त इसे स्टेट इंडीकेटर्स से लिंक करते हुए नेशनल इंडीकेटर्स फ्रेमवर्क के साथ लिंक करना।
- 7- एस0डी0जी0 फ्रेमवर्क में अपने गोल को प्रदेश में सबसे निचली इकाई तक ले जाने का कार्य चरणबद्ध तरीके से यथा- सर्वप्रथम जनपद स्तर पर फिर नगर/ग्राम पंचायत स्तर पर पहुंचाने का कार्य करना।

मा० मुख्यमंत्रीजी द्वारा इस समिति की बैठक प्रत्येक तीन माह में एक बार एवं मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन द्वारा एस०ड०जी० टास्क फोर्स की बैठक के साथ इस समिति की प्रत्येक दो माह में एक बैठक आहूत की जायेगी।

राजेन्द्र कुमार तिवारी
मुख्य सचिव।

संख्या: ७७१(२)/३५-१-२०१९ - तद् दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नीति आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली।
- 2- सलाहकार (सुश्री संयुक्ता सम्मदार), नीति आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली।
- 3- प्रमुख सचिव मा० मुख्यमंत्री, उ०प्र० शासन।
- 4- कृषि उत्पादन आयुक्त, उ०प्र० शासन।
- 5- स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन।
- 6- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव।
- 7- समिति के सदस्यगण।
- 8- समस्त विभागाध्यक्ष, उ०प्र० शासन।
- 9- समस्त मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी, उ०प्र०।
- 10- प्रधान महालेखाकार (जनरल एण्ड सोशल सेक्टर आडिट), उ०प्र०, इलाहाबाद।
- 11- निदेशक, दीर्घकालीन योजना प्रभाग, नियोजन विभाग, योजना भवन, लखनऊ।
- 12- संबंधित नोडल अधिकारी, राज्य योजना आयोग।
- 13- समस्त प्रभागाध्यक्ष, राज्य नियोजन संस्थान।
- 14- नियोजन अनुभाग-२/३/४ एवं राज्य योजना आयोग-१/२
- 15- निदेशक, अर्थ एवं संख्या प्रभाग।
- 16- सुश्री पीयूष एन्टोनी, सोशल स्पेशलिस्ट, यूनीसेफ, लखनऊ।
- 17- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कुमार कमलेश)
अपर मुख्य सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन,
नियोजन अनुभाग-1,
संख्या- 779(3)/35-1-2019-2/(1)/2019
लखनऊ दिनांक: 15 अक्टूबर , 2019

प्रदेश में सतत विकास के लक्ष्य (एस0डी0जी0) 16 गोल्स, 169 लक्ष्यों व उनसे संबंधित इंडीकेटर्स पर आधारित हैं। मा० मुख्यमंत्रीजी द्वारा सतत विकास गोल्स के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु दिये गये निर्देशों के क्रम में गोल संख्या-03 (उत्तम स्वास्थ्य एवं खुशहाली) हेतु अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, ३०प्र० शासन की अध्यक्षता में एस0डी0जी0 विजन- 2030, स्ट्रेटजी 2024 एवं 2022 के क्रियान्वयन हेतु निम्नवत समिति का गठन किया जाता है। यह समिति अन्तर्विभागीय समन्वय के माध्यम से कार्यवाही सम्पन्न करेगी।

| | |
|---|---------------|
| 1- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग | अध्यक्ष |
| 2- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग | सह-अध्यक्ष |
| 3- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, आयुष विभाग | सदस्य |
| 4- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नगर विकास (स्वच्छ भारत मिशन) | सदस्य |
| 5- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, महिला कल्याण एवं बाल पुष्टाहार विभाग | सदस्य |
| 6- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग (स्वच्छ भारत मिशन) | सदस्य |
| 7- गोल सं0-3 से संलग्न सूची के अनुसार संबंधित विभाग | विशेष आमंत्री |

उक्त समिति के निम्न कार्य होंगे:-

- समिति अपने-अपने गोल्स से जुड़े हुए सभी संबंधित विभागों के साथ आवश्यकतानुसार समन्वय स्थापित करते हुए गोल्स के लक्ष्यों की पूर्ति के लिए प्रत्येक माह बैठक आयोजित करेगी। इसका कार्यवृत्त मुख्यमंत्री कार्यालय, मुख्य सचिव कार्यालय व नियोजन विभाग को प्रेषित करेंगे।
- समिति द्वारा अपने गोल के अभी तक के कार्यों का मूल्यांकन करते हुए आगामी वर्षों में यथा वर्ष 2022, वर्ष 2024 एवं वर्ष 2030 के लिए ठोस कार्य योजना वर्षवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों के साथ एक माह के अन्दर तैयार कर मुख्य सचिव, ३०प्र० शासन एवं मुख्यमंत्री कार्यालय को प्रेषित करते हुए उसकी प्रति नियोजन विभाग को भी उपलब्ध करायी जायेगी।
- आगामी वर्षों के लिए अपने गोल्स के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ती जाने वाली महत्वपूर्ण योजनाओं तथा उनकी प्राप्ति हेतु निजी क्षेत्र की साक्षेदारी को चिन्हित करते हुए उनके लिए आर्थिक उपाशयों/वित्तीय संसाधनों का आंकलन करते हुए वर्ष 2020 से अपने एकशन प्लान तैयार करना।
- नीति आयोग द्वारा जारी एस0डी0जी0 इण्डिया इंडेक्स में रेखांकित इंडीकेटर्स के सापेक्ष प्रदेश स्तरीय इंडीकेटर्स सुधारने हेतु प्रभावी कदम उठाना एवं समुचित आंकड़े भारत सरकार को ससमय उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी सुनिश्चित करना।
- प्रदेश हेतु स्टेट इंडीकेटर्स फ्रेमवर्क तैयार करना तथा तैयार किये गये इंडीकेटर्स को नीति आयोग द्वारा तैयार किये गये डैशबोर्ड के साथ लिंक करना।
- जिला स्तरीय इंडीकेटर्स के चिन्हांकन के उपरान्त इसे स्टेट इंडीकेटर्स से लिंक करते हुए नेशनल इंडीकेटर्स फ्रेमवर्क के साथ लिंक करना।
- एस0डी0जी0 फ्रेमवर्क में अपने गोल को प्रदेश में सबसे निचली इकाई तक ले जाने का कार्य चरणबद्ध तरीके से यथा- सर्वप्रथम जनपद स्तर पर फिर नगर/ग्राम पंचायत स्तर पर पहुंचाने का कार्य करना।

मा० मुख्यमंत्रीजी द्वारा इस समिति की बैठक प्रत्येक तीन माह में एक बार एवं मुख्य सचिव, ३०प्र० शासन द्वारा एस०डी०जी० टास्क फोर्स की बैठक के साथ इस समिति की प्रत्येक दो माह में एक बैठक आहूत की जायेगी।

राजेन्द्र कुमार तिवारी
मुख्य सचिव।

संख्या:७७९(३)/३५-१-२०१९ - तद् दिनांक ।^(१)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नीति आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली।
- 2- सलाहकार (सुश्री संयुक्ता सम्मदार), नीति आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली।
- 3- प्रमुख सचिव मा० मुख्यमंत्री, ३०प्र० शासन।
- 4- कृषि उत्पादन आयुक्त, ३०प्र० शासन।
- 5- स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, ३०प्र० शासन।
- 6- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव।
- 7- समिति के सदस्यगण।
- 8- समस्त विभागाध्यक्ष, ३०प्र० शासन।
- 9- समस्त मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी, ३०प्र०।
- 10- प्रधान महालेखाकार (जनरल एण्ड सोशल सेक्टर आडिट), ३०प्र०, इलाहाबाद।
- 11- निदेशक, दीर्घकालीन योजना प्रभाग, नियोजन विभाग, योजना भवन, लखनऊ।
- 12- संबंधित नोडल ऑफिकारी, राज्य योजना आयोग।
- 13- समस्त प्रभागाध्यक्ष, राज्य नियोजन संस्थान।
- 14- नियोजन अनुभाग-२/३/४ एवं राज्य योजना आयोग-१/२
- 15- निदेशक, अर्थ एवं संख्या प्रभाग।
- 16- सुश्री पीयूष एन्टोनी, सोशल स्पेशलिस्ट, यूनीसेफ, लखनऊ।
- 17- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कुमार कमलेश)
अपर मुख्य सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन,
 नियोजन अनुभाग-1,
 संख्या- 779(4)/35-1-2019-2/(1)/2019
 लखनऊ दिनांक: 15 अक्टूबर , 2019

प्रदेश में सतत विकास के लक्ष्य (एस0डी0जी0) 16 गोल्स, 169 लक्ष्यों व उनसे संबंधित इंडीकेटर्स पर आधारित हैं। मा0 मुख्यमंत्रीजी द्वारा सतत विकास गोल्स के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु दिये गये निर्देशों के क्रम में गोल संख्या-04 (गुणवत्तापूर्ण शिक्षा) हेतु अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, बेसिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में एस0डी0जी0 विजन- 2030, स्ट्रेटजी 2024 एवं 2022 के क्रियान्वयन हेतु निम्नवत समिति का गठन किया जाता है। यह समिति अन्तर्विभागीय समन्वय के माध्यम से कार्यवाही सम्पन्न करेगी।

| | |
|---|---------------|
| 1- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, बेसिक शिक्षा विभाग | अध्यक्ष |
| 2- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग | सह-अध्यक्ष |
| 3- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग | सदस्य |
| 4- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, तकनीकी शिक्षा | सदस्य |
| 5- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, व्यावसायिक शिक्षा विभाग (कौशल विभाग) | सदस्य |
| 6- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग | सदस्य |
| 7- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, महिला एवं बाल विकास पुष्टाहार विभाग | सदस्य |
| 8- गोल सं0-4 से संलग्न सूची के अनुसार संबंधित विभाग | विशेष आमंत्री |

उक्त समिति के निम्न कार्य होंगे:-

- समिति अपने-अपने गोल्स से जुड़े हुए सभी संबंधित विभागों के साथ आवश्यकतानुसार समन्वय स्थापित करते हुए गोल्स के लक्ष्यों की पूर्ति के लिए प्रत्येक माह बैठक आयोजित करेगी। इसका कार्यवृत्त मुख्यमंत्री कार्यालय, मुख्य सचिव कार्यालय व नियोजन विभाग को प्रेषित करेंगे।
- समिति द्वारा अपने गोल के अभी तक के कार्यों का मूल्यांकन करते हुए आगामी वर्षों में यथा वर्ष 2022, वर्ष 2024 एवं वर्ष 2030 के लिए ठोस कार्य योजना वर्षवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों के साथ एक माह के अन्दर तैयार कर मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन एवं मुख्यमंत्री कार्यालय को प्रेषित करते हुए उसकी प्रति नियोजन विभाग को भी उपलब्ध करायी जायेगी।
- आगामी वर्षों के लिए अपने गोल्स के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ली जाने वाली महत्वपूर्ण योजनाओं तथा उनकी प्राप्ति हेतु निजी क्षेत्र की साक्षेदारी को चिन्हित करते हुए उनके लिए आर्थिक उपाशयों/वित्तीय संसाधनों का आंकलन करते हुए वर्ष 2020 से अपने एकशन प्लान तैयार करना।
- नीति आयोग द्वारा जारी एस0डी0जी0 इंडिया इंडेक्स में रेखांकित इंडीकेटर्स के सापेक्ष प्रदेश स्तरीय इंडीकेटर्स सुधारने हेतु प्रभावी कदम उठाना एवं समुचित आंकड़े भारत सरकार को ससमय उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी सुनिश्चित करना।
- प्रदेश हेतु स्टेट इंडीकेटर्स फ्रेमवर्क तैयार करना तथा तैयार किये गये इंडीकेटर्स को नीति आयोग द्वारा तैयार किये गये डैशबोर्ड के साथ लिंक करना।
- जिला स्तरीय इंडीकेटर्स के चिन्हांकन के उपरान्त इसे स्टेट इंडीकेटर्स से लिंक करते हुए नेशनल इंडीकेटर्स फ्रेमवर्क के साथ लिंक करना।
- एस0डी0जी0 फ्रेमवर्क में अपने गोल को प्रदेश में सबसे निचली इकाई तक ले जाने का कार्य चरणबद्ध तरीके से यथा- सर्वप्रथम जनपद स्तर पर फिर नगर/ग्राम पंचायत स्तर पर पहुंचाने का कार्य करना।

मा० मुख्यमंत्रीजी द्वारा इस समिति की बैठक प्रत्येक तीन माह में एक बार एवं मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन द्वारा एस०डी०जी० टास्क फोर्स की बैठक के साथ इस समिति की प्रत्येक दो माह में एक बैठक आहूत की जायेगी।

राजेन्द्र कुमार तिवारी
मुख्य सचिव।

(१)
संख्या: ७७५४/३५-१-२०१९ - तद् दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नीति आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली।
- 2- सलाहकार (सुश्री संयुक्ता सम्मदार), नीति आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली।
- 3- प्रमुख सचिव मा० मुख्यमंत्री, उ०प्र० शासन।
- 4- कृषि उत्पादन आयुक्त, उ०प्र० शासन।
- 5- स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन।
- 6- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव।
- 7- समिति के सदस्यगण।
- 8- समस्त विभागाध्यक्ष, उ०प्र० शासन।
- 9- समस्त मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी, उ०प्र०।
- 10- प्रधान महालेखाकार (जनरल एण्ड सोशल सेक्टर आडिट), उ०प्र०, इलाहाबाद।
- 11- निदेशक, दीर्घकालीन योजना प्रभाग, नियोजन विभाग, योजना भवन, लखनऊ।
- 12- संबंधित नोडल अधिकारी, राज्य योजना आयोग।
- 13- समस्त प्रभागाध्यक्ष, राज्य नियोजन संस्थान।
- 14- नियोजन अनुभाग-2/3/4 एवं राज्य योजना आयोग-1/2
- 15- निदेशक, अर्थ एवं संख्या प्रभाग।
- 16- सुश्री पीयूष एन्टोनी, सोशल स्पेशलिस्ट, यूनीसेफ, लखनऊ।
- 17- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कुमार कमलेश)
अपर मुख्य सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन,
नियोजन अनुभाग-1,
संख्या- 779(5)/35-1-2019-2/(1)/2019
लखनऊ दिनांक: 15 अक्टूबर , 2019

प्रदेश में सतत विकास के लक्ष्य (एस0डी0जी0) 16 गोल्स, 169 लक्ष्यों व उनसे संबंधित इंडीकेटर्स पर आधारित हैं। मा0 मुख्यमंत्रीजी द्वारा सतत विकास गोल्स के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु दिये गये निर्देशों के क्रम में गोल संख्या-05 (लैंगिक समानता) हेतु अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, महिला कल्याण एवं बाल विकास पुष्टाहार विभाग, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में एस0डी0जी0 विजन- 2030, स्ट्रेटजी 2024 एवं 2022 के क्रियान्वयन हेतु निम्नवत समिति का गठन किया जाता है। यह समिति अन्तर्विभागीय समन्वय के माध्यम से कार्यवाही सम्पन्न करेगी।

| | |
|---|---------------|
| 1- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, महिला कल्याण एवं बाल विकास पुष्टाहार विभाग | अध्यक्ष |
| 2- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग | सदस्य |
| 3- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, गृह विभाग | सदस्य |
| 4- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, व्यावसायिक शिक्षा विभाग (कौशल विकास) | सदस्य |
| 5- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग विभाग | सदस्य |
| 6- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग | सदस्य |
| 7- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, संस्थागत वित्त विभाग | सदस्य |
| 8- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, सूचना विभाग | सदस्य |
| 9- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त विभाग | सदस्य |
| 10-गोल सं0-5 से संलग्न सूची के अनुसार संबंधित विभाग | विशेष आमंत्री |

उक्त समिति के निम्न कार्य होंगे:-

- समिति अपने-अपने गोल्स से जुड़े हुए सभी संबंधित विभागों के साथ आवश्यकतानुसार समन्वय स्थापित करते हुए गोल्स के लक्ष्यों की पूर्ति के लिए प्रत्येक माह बैठक आयोजित करेगी। इसका कार्यवृत्त मुख्यमंत्री कार्यालय, मुख्य सचिव कार्यालय व नियोजन विभाग को प्रेषित करेंगे।
- समिति द्वारा अपने गोल के अभी तक के कार्यों का मूल्यांकन करते हुए आगामी वर्षों में यथा वर्ष 2022, वर्ष 2024 एवं वर्ष 2030 के लिए ठोस कार्य योजना वर्षवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों के साथ एक माह के अन्दर तैयार कर मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन एवं मुख्यमंत्री कार्यालय को प्रेषित करते हुए उसकी प्रति नियोजन विभाग को भी उपलब्ध करायी जायेगी।
- आगामी वर्षों के लिए अपने गोल्स के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ली जाने वाली महत्वपूर्ण योजनाओं तथा उनकी प्राप्ति हेतु निजी क्षेत्र की साक्षेदारी को चिन्हित करते हुए उनके लिए आर्थिक उपाशयों/वित्तीय संसाधनों का आंकलन करते हुए वर्ष 2020 से अपने एकशन प्लान तैयार करना।
- नीति आयोग द्वारा जारी एस0डी0जी0 इण्डिया इंडेक्स में रेखांकित इंडीकेटर्स के सापेक्ष प्रदेश स्तरीय इंडीकेटर्स सुधारने हेतु प्रभावी कदम उठाना एवं समुचित आंकड़े भारत सरकार को सम्मय उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी सुनिश्चित करना।
- प्रदेश हेतु स्टेट इंडीकेटर्स फ्रेमवर्क तैयार करना तथा तैयार किये गये इंडीकेटर्स को नीति आयोग द्वारा तैयार किये गये डैशबोर्ड के साथ लिंक करना।

- 6- जिला स्तरीय इंडीकेटर्स के चिन्हांकन के उपरान्त इसे स्टेट इंडीकेटर्स से लिंक करते हुए नेशनल इंडीकेटर्स फ्रेमवर्क के साथ लिंक करना ।
- 7- एस0डी0जी0 फ्रेमवर्क में अपने गोल को प्रदेश में सबसे निचली इकाई तक ले जाने का कार्य चरणबद्ध तरीके से यथा- सर्वप्रथम जनपद स्तर पर फिर नगर/ग्राम पंचायत स्तर पर पहुंचाने का कार्य करना । मा० मुख्यमंत्रीजी द्वारा इस समिति की बैठक प्रत्येक तीन माह में एक बार एवं मुख्य सचिव, ३०प्र० शासन द्वारा एस0डी0जी0 टास्क फोर्स की बैठक के साथ इस समिति की प्रत्येक दो माह में एक बैठक आहूत की जायेगी।

राजेन्द्र कुमार तिवारी
मुख्य सचिव।

(v)
संख्या: ७७७(५)/३५-१-२०१९ - तद् दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

- 1- मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नीति आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली।
- 2- सलाहकार (सुश्री संयुक्ता सम्मदार), नीति आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली।
- 3- प्रमुख सचिव मा० मुख्यमंत्री, ३०प्र० शासन।
- 4- कृषि उत्पादन आयुक्त, ३०प्र० शासन।
- 5- स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, ३०प्र० शासन।
- 6- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव।
- 7- समिति के सदस्यगण।
- 8- समस्त विभागाध्यक्ष, ३०प्र० शासन।
- 9- समस्त मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी, ३०प्र०।
- 10- प्रधान महालेखाकार (जनरल एण्ड सोशल सेक्टर आडिट), ३०प्र०, इलाहाबाद।
- 11- निदेशक, दीर्घकालीन योजना प्रभाग, नियोजन विभाग, योजना भवन, लखनऊ।
- 12- संबंधित नोडल अधिकारी, राज्य योजना आयोग।
- 13- समस्त प्रभागाध्यक्ष, राज्य नियोजन संस्थान।
- 14- नियोजन अनुधाग-2/3/4 एवं राज्य योजना आयोग-1/2
- 15- निदेशक, अर्थ एवं संख्या प्रभाग।
- 16- सुश्री पीयूष एन्टोनी, सोशल स्पेशलिस्ट, यूनीसेफ, लखनऊ।
- 17- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

 (कुमार कमलेश)
 अपर मुख्य सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन,
 नियोजन अनुभाग-1,
 संख्या- 779(6)/35-1-2019-2/(1)/2019
 लखनऊ दिनांक: 15 अक्टूबर, 2019

प्रदेश में सतत विकास के लक्ष्य (एस0डी0जी0) 16 गोल्स, 169 लक्ष्यों व उनसे संबंधित इंडीकेटर्स पर आधारित हैं। मा0 मुख्यमंत्रीजी द्वारा सतत विकास गोल्स के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु दिये गये निर्देशों के क्रम में गोल संख्या-06 (स्वच्छ जल और स्वच्छता) हेतु अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में एस0डी0जी0 विजन- 2030, स्ट्रेटजी 2024 एवं 2022 के क्रियान्वयन हेतु निम्नवत समिति का गठन किया जाता है। यह समिति अन्तर्विभागीय समन्वय के माध्यम से कार्यवाही सम्पन्न करेगी।

| | |
|---|---------------|
| 1- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग | अध्यक्ष |
| 2- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग | सह-अध्यक्ष |
| 3- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, पंचायतीराज विभाग | सह-अध्यक्ष |
| 4- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग | सदस्य |
| 5- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग | सदस्य |
| 6- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, पर्यावरण विभाग | सदस्य |
| 7- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, बन विभाग | सदस्य |
| 8- गोल सं0-6 से संलग्न सूची के अनुसार संबंधित विभाग | विशेष आमंत्री |

उक्त समिति के निम्न कार्य होंगे:-

- 1- समिति अपने-अपने गोल्स से जुड़े हुए सभी संबंधित विभागों के साथ आवश्यकतानुसार समन्वय स्थापित करते हुए गोल्स के लक्ष्यों की पूर्ति के लिए प्रत्येक माह बैठक आयोजित करेगी। इसका कार्यवृत्त मुख्यमंत्री कार्यालय, मुख्य सचिव कार्यालय व नियोजन विभाग को प्रेषित करेंगे।
- 2- समिति द्वारा अपने गोल के अभी तक के कार्यों का मूल्यांकन करते हुए आगामी वर्षों में यथा वर्ष 2022, वर्ष 2024 एवं वर्ष 2030 के लिए ठोस कार्य योजना वर्षवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों के साथ एक माह के अन्दर तैयार कर मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन एवं मुख्यमंत्री कार्यालय को प्रेषित करते हुए उसकी प्रति नियोजन विभाग को भी उपलब्ध करायी जायेगी।
- 3- आगामी वर्षों के लिए अपने गोल्स के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ली जाने वाली महत्वपूर्ण योजनाओं तथा उनकी प्राप्ति हेतु निजी क्षेत्र की साक्षेदारी को चिन्हित करते हुए उनके लिए आर्थिक उपाशयों/वित्तीय संसाधनों का आंकलन करते हुए वर्ष 2020 से अपने एक्शन प्लान तैयार करना।
- 4- नीति आयोग द्वारा जारी एस0डी0जी0 इण्डिया इंडेक्स में रेखांकित इंडीकेटर्स के सापेक्ष प्रदेश स्तरीय इंडीकेटर्स सुधारने हेतु प्रभावी कदम उठाना एवं समुचित आंकड़े भारत सरकार को सममय उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी सुनिश्चित करना।
- 5- प्रदेश हेतु स्टेट इंडीकेटर्स फ्रेमवर्क तैयार करना तथा तैयार किये गये इंडीकेटर्स को नीति आयोग द्वारा तैयार किये गये डैशबोर्ड के साथ लिंक करना।
- 6- जिला स्तरीय इंडीकेटर्स के चिन्हांकन के उपरान्त इसे स्टेट इंडीकेटर्स से लिंक करते हुए नेशनल इंडीकेटर्स फ्रेमवर्क के साथ लिंक करना।

- 7- एस0डी0जी0 फ्रेमवर्क में अपने गोल को प्रदेश में सबसे निचली इकाई तक ले जाने का कार्य चरणबद्ध तरीके से यथा- सर्वप्रथम जनपद स्तर पर फिर नगर/ग्राम पंचायत स्तर पर पहुंचाने का कार्य करना। माझे मुख्यमंत्रीजी द्वारा इस समिति की बैठक प्रत्येक तीन माह में एक बार एवं मुख्य सचिव, 30प्र० शासन द्वारा एस0डी0जी0 टास्क फोर्स की बैठक के साथ इस समिति की प्रत्येक दो माह में एक बैठक आहूत की जायेगी।

राजेन्द्र कुमार तिवारी
मुख्य सचिव।

⁽¹⁾
संख्या: ७७९(६)/३५-१-२०१९ - तद् दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नीति आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली।
- 2- सलाहकार (सुश्री संयुक्ता सम्मदार), नीति आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली।
- 3- प्रमुख सचिव माझे मुख्यमंत्री, 30प्र० शासन।
- 4- कृषि उत्पादन आयुक्त, 30प्र० शासन।
- 5- स्टाफ आकीसर, मुख्य सचिव, 30प्र० शासन।
- 6- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव।
- 7- समिति के सदस्यगण।
- 8- समस्त विभागाध्यक्ष, 30प्र० शासन।
- 9- समस्त मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी, 30प्र०।
- 10- प्रधान महालेखाकार (जनरल एण्ड सोशल सेक्टर आडिट), 30प्र०, इलाहाबाद।
- 11- निदेशक, दीर्घकालीन योजना प्रभाग, नियोजन विभाग, योजना भवन, लखनऊ।
- 12- संबंधित नोडल अधिकारी, राज्य योजना आयोग।
- 13- समस्त प्रभागाध्यक्ष, राज्य नियोजन संस्थान।
- 14- नियोजन अनुभाग-2/3/4 एवं राज्य योजना आयोग-1/2
- 15- निदेशक, अर्थ एवं संख्या प्रभाग।
- 16- सुश्री पीयूष एन्टोनी, सोशल स्पेशलिस्ट, यूनीसेफ, लखनऊ।
- 17- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

 (कुमार कमलेश)
 अपर मुख्य सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन,
 नियोजन अनुभाग-1,
 संख्या- 779(7)/35-1-2019-2/(1)/2019
 लखनऊ दिनांक: 15 अक्टूबर , 2019

प्रदेश में सतत विकास के लक्ष्य (एस0डी0जी0) 16 गोल्स, 169 लक्ष्यों व उनसे संबंधित इंडीकेटर्स पर आधारित हैं। मा0 मुख्यमंत्रीजी द्वारा सतत विकास गोल्स के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु दिये गये निर्देशों के क्रम में गोल संख्या-07 (सस्ती और प्रदूषण-मुक्त ऊर्जा) हेतु अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में एस0डी0जी0 विजन- 2030, स्ट्रेटजी 2024 एवं 2022 के क्रियान्वयन हेतु निम्नवत समिति का गठन किया जाता है। यह समिति अन्तर्विभागीय समन्वय के माध्यम से कार्यवाही सम्पन्न करेगी।

| | |
|---|---------------|
| 1- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग | अध्यक्ष |
| 2- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वैकल्पिक ऊर्जा विभाग | सदस्य |
| 3- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, उद्योग विभाग | सदस्य |
| 4- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग | सदस्य |
| 5- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, कृषि विभाग | सदस्य |
| 6- गोल सं0-7 से संलग्न सूची के अनुसार संबंधित विभाग | विशेष आमंत्री |

उक्त समिति के निम्न कार्य होंगे:-

- 1- समिति अपने-अपने गोल्स से जुड़े हुए सभी संबंधित विभागों के साथ आवश्यकतानुसार समन्वय स्थापित करते हुए गोल्स के लक्ष्यों की पूर्ति के लिए प्रत्येक माह बैठक आयोजित करेगी। इसका कार्यवृत्त मुख्यमंत्री कार्यालय, मुख्य सचिव कार्यालय व नियोजन विभाग को प्रेषित करेंगे।
- 2- समिति द्वारा अपने गोल के अभी तक के कार्यों का मूल्यांकन करते हुए आगामी वर्षों में यथा वर्ष 2022, वर्ष 2024 एवं वर्ष 2030 के लिए ठोस कार्य योजना वर्षवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों के साथ एक माह के अन्दर तैयार कर मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन एवं मुख्यमंत्री कार्यालय को प्रेषित करते हुए उसकी प्रति नियोजन विभाग को भी उपलब्ध करायी जायेगी।
- 3- आगामी वर्षों के लिए अपने गोल्स के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ली जाने वाली महत्वपूर्ण योजनाओं तथा उनकी प्राप्ति हेतु निजी क्षेत्र की साक्षेदारी को चिन्हित करते हुए उनके लिए आर्थिक उपाशयों/वित्तीय संसाधनों का आंकलन करते हुए वर्ष 2020 से अपने एकशन प्लान तैयार करना।
- 4- नीति आयोग द्वारा जारी एस0डी0जी0 इण्डिया इंडेक्स में रेखांकित इंडीकेटर्स के सापेक्ष प्रदेश स्तरीय इंडीकेटर्स सुधारने हेतु प्रभावी कदम उठाना एवं समुचित आंकड़े भारत सरकार को ससमय उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी सुनिश्चित करना।
- 5- प्रदेश हेतु स्टेट इंडीकेटर्स फ्रेमवर्क तैयार करना तथा तैयार किये गये इंडीकेटर्स को नीति आयोग द्वारा तैयार किये गये डैशबोर्ड के साथ लिंक करना।
- 6- जिला स्तरीय इंडीकेटर्स के चिन्हांकन के उपरान्त इसे स्टेट इंडीकेटर्स से लिंक करते हुए नेशनल इंडीकेटर्स फ्रेमवर्क के साथ लिंक करना।
- 7- एस0डी0जी0 फ्रेमवर्क में अपने गोल को प्रदेश में सबसे निचली इकाई तक ले जाने का कार्य चरणबद्ध तरीके से यथा- सर्वप्रथम जनपद स्तर पर फिर नगर/ग्राम पंचायत स्तर पर पहुंचाने का कार्य करना।


माझे मुख्यमंत्रीजी द्वारा इस समिति की बैठक प्रत्येक तीन माह में एक बार एवं मुख्य सचिव, 30प्र० शासन द्वारा एस०ड०जी० टास्क फोर्स की बैठक के साथ इस समिति की प्रत्येक दो माह में एक बैठक आहूत की जायेगी।

राजेन्द्र कुमार तिवारी
मुख्य सचिव।

(१) संख्या: ७७७(७)/३५-१-२०१९ - तद् दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नीति आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली।
- 2- सलाहकार (सुश्री संयुक्ता सम्मदार), नीति आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली।
- 3- प्रमुख सचिव माझे मुख्यमंत्री, 30प्र० शासन।
- 4- कृषि उत्पादन आयुक्त, 30प्र० शासन।
- 5- स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, 30प्र० शासन।
- 6- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव।
- 7- समिति के सदस्यगण।
- 8- समस्त विभागाध्यक्ष, 30प्र० शासन।
- 9- समस्त मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी, 30प्र०।
- 10- प्रधान महालेखाकार (जनरल एण्ड सोशल सेक्टर आडिट), 30प्र०, इलाहाबाद।
- 11- निदेशक, दीर्घकालीन योजना प्रभाग, नियोजन विभाग, योजना भवन, लखनऊ।
- 12- संबंधित नोडल अधिकारी, राज्य योजना आयोग।
- 13- समस्त प्रक्षागाध्यक्ष, राज्य नियोजन संस्थान।
- 14- नियोजन अनुभाग-2/3/4 एवं राज्य योजना आयोग-1/2
- 15- निदेशक, अर्थ एवं संख्या प्रभाग।
- 16- सुश्री पीयूष एन्टोनी, सोशल स्पेशलिस्ट, यूनीसेफ, लखनऊ।
- 17- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कुमार कमलेश)
अपर मुख्य सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन,
 नियोजन अनुभाग-1,
 संख्या- 779(8)/35-1-2019-2/(1)/2019
 लखनऊ दिनांक: 15 अक्टूबर , 2019

प्रदेश में सतत विकास के लक्ष्य (एस0डी0जी0) 16 गोल्स, 169 लक्ष्यों व उनसे संबंधित इंडीकेटर्स पर आधारित हैं। मा0 मुख्यमंत्रीजी द्वारा सतत विकास गोल्स के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु दिये गये निर्देशों के क्रम में गोल संख्या-08 (उत्कृष्ट कार्य एवं आर्थिक वृद्धि) हेतु अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग विभाग, 30प्र0 शासन की अध्यक्षता में एस0डी0जी0 विजन- 2030, स्ट्रेटजी 2024 एवं 2022 के क्रियान्वयन हेतु निम्नवत समिति का गठन किया जाता है। यह समिति अन्तर्विभागीय समन्वय के माध्यम से कार्यवाही सम्पन्न करेगी।

| | | |
|----|---|---------------|
| 1- | अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग विभाग | अध्यक्ष |
| 2- | अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, श्रम विभाग | सदस्य |
| 3- | अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, आई0टी0 विभाग | सदस्य |
| 4- | अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, कौशल विकास विभाग | सदस्य |
| 5- | अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, पर्यावरण विभाग | सदस्य |
| 6- | अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, गान्धी विकास विभाग | सदस्य |
| 7- | अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, बाल विकास एवं महिला कल्याण विभाग | सदस्य |
| 8- | निदेशक, अर्थ एवं संख्या प्रभाग (नियोजन विभाग) | सदस्य |
| 9- | गोल सं0-8 से संलग्न सूची के अनुसार संबंधित विभाग | विशेष आमंत्री |

उक्त समिति के निम्न कार्य होंगे:-

- समिति अपने-अपने गोल्स से जुड़े हुए सभी संबंधित विभागों के साथ आवश्यकतानुसार समन्वय स्थापित करते हुए गोल्स के लक्ष्यों की पूर्ति के लिए प्रत्येक माह बैठक आयोजित करेगी। इसका कार्यवृत्त मुख्यमंत्री कार्यालय, मुख्य सचिव कार्यालय व नियोजन विभाग को प्रेषित करेंगे।
- समिति द्वारा अपने गोल के अभी तक के कार्यों का मूल्यांकन करते हुए आगामी वर्षों में यथा वर्ष 2022, वर्ष 2024 एवं वर्ष 2030 के लिए ठोस कार्य योजना वर्षवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों के साथ एक माह के अन्दर तैयार कर मुख्य सचिव, 30प्र0 शासन एवं मुख्यमंत्री कार्यालय को प्रेषित करते हुए उसकी प्रति नियोजन विभाग को भी उपलब्ध करायी जायेगी।
- आगामी वर्षों के लिए अपने गोल्स के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ली जाने वाली महत्वपूर्ण योजनाओं तथा उनकी प्राप्ति हेतु निजी क्षेत्र की साक्षेत्रीय को चिह्नित करते हुए उनके लिए आर्थिक उपायों/वित्तीय संसाधनों का आंकलन करते हुए वर्ष 2020 से अपने एकशन प्लान तैयार करना।
- नीति आयोग द्वारा जारी एस0डी0जी0 इण्डिया इंडेक्स में रेखांकित इंडीकेटर्स के सापेक्ष प्रदेश स्तरीय इंडीकेटर्स सुधारने हेतु प्रभावी कदम उठाना एवं समुचित आंकड़े भारत सरकार को समर्पय उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी सुनिश्चित करना।
- प्रदेश हेतु स्टेट इंडीकेटर्स फ्रेमवर्क तैयार करना तथा तैयार किये गये इंडीकेटर्स को नीति आयोग द्वारा तैयार किये गये डैशबोर्ड के साथ लिंक करना।
- जिला स्तरीय इंडीकेटर्स के चिन्हांकन के उपरान्त इसे स्टेट इंडीकेटर्स से लिंक करते हुए नेशनल इंडीकेटर्स फ्रेमवर्क के साथ लिंक करना।

- 7- एस0डी0जी0 फ्रेमवर्क में अपने गोल को प्रदेश में सबसे निचली इकाई तक ले जाने का कार्य चरणबद्ध तरीके से यथा- सर्वप्रथम जनपद स्तर पर फिर नगर/ग्राम पंचायत स्तर पर पहुंचाने का कार्य करना । मा0 मुख्यमंत्रीजी द्वारा इस समिति की बैठक प्रत्येक तीन माह में एक बार एवं मुख्य सचिव, ३०प्र० शासन द्वारा एस0डी0जी0 टास्क फोर्स की बैठक के साथ इस समिति की प्रत्येक दो माह में एक बैठक आहूत की जायेगी।

राजेन्द्र कुमार तिवारी
मुख्य सचिव।

⁽¹⁾
संख्या: ७७७(६)/३५-१-२०१९ - तद दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नीति आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली।
- 2- सलाहकार (सुश्री संयुक्ता सम्मदार), नीति आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली।
- 3- प्रमुख सचिव मा0 मुख्यमंत्री, ३०प्र० शासन।
- 4- कृषि उत्पादन आयुक्त, ३०प्र० शासन।
- 5- स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, ३०प्र० शासन।
- 6- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव।
- 7- समिति के सदस्यगण।
- 8- समस्त विभागाध्यक्ष, ३०प्र० शासन।
- 9- समस्त मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी, ३०प्र०।
- 10- प्रधान महालेखाकार (जनरल एण्ड सोशल सेक्टर आडिट), ३०प्र०, इलाहाबाद।
- 11- निदेशक, दीर्घकालीन योजना प्रभाग, नियोजन विभाग, योजना भवन, लखनऊ।
- 12- संबंधित नोडल अधिकारी, राज्य योजना आयोग।
- 13- समस्त प्रभागाध्यक्ष, राज्य नियोजन संस्थान।
- 14- नियोजन अनुभाग-2/3/4 एवं राज्य योजना आयोग-1/2
- 15- निदेशक, अर्थ एवं संख्या प्रभाग।
- 16- सुश्री पीयूष एन्टोनी, सोशल स्पेशलिस्ट, यूनीसेफ, लखनऊ।
- 17- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

 (कुमार कमलेश)
 अपर मुख्य सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन,
 नियोजन अनुभाग-1,
 संख्या- 779(9)/35-1-2019-2/(1)/2019
 लखनऊ दिनांक: /५ अक्टूबर , 2019

प्रदेश में सतत विकास के लक्ष्य (एस0डी0जी0) 16 गोल्स, 169 लक्ष्यों व उनसे संबंधित इंडीकेटर्स पर आधारित हैं। मा० मुख्यमंत्रीजी द्वारा सतत विकास गोल्स के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु दिये गये निर्देशों के क्रम में गोल संख्या-09 (उद्योग, नवाचार एवं बुनियादी सुविधाएं) हेतु अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, ३०प्र० शासन की अध्यक्षता में एस0डी0जी0 विजन- 2030, स्ट्रेटजी 2024 एवं 2022 के क्रियान्वयन हेतु निम्नवत् समिति का गठन किया जाता है। यह समिति अन्तर्विभागीय समन्वय के माध्यम से कार्यवाही सम्पन्न करेगी।

| | |
|---|-------------------------|
| 1- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग | अध्यक्ष |
| 2- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग | सदस्य |
| 3- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, संस्थागत वित्त विभाग | सदस्य |
| 4- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, परिवहन विभाग | सदस्य |
| 5- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, लघु उद्योग | सदस्य |
| 6- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, खाद्य प्रसंस्करण | सदस्य |
| 7- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, आई0टी0 | सदस्य |
| 8- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी | सदस्य |
| 9- गोल सं0-9 से संलग्न सूची के अनुसार संबंधित विभाग | संदर्भ विशेष आमंत्री |

उक्त समिति के निम्न कार्य होंगे:-

- 1- समिति अपने-अपने गोल्स से जुड़े हुए सभी संबंधित विभागों के साथ आवश्यकतानुसार समन्वय स्थापित करते हुए गोल्स के लक्ष्यों की पूर्ति के लिए प्रत्येक माह बैठक आयोजित करेगी। इसका कार्यवृत्त मुख्यमंत्री कार्यालय, मुख्य सचिव कार्यालय व नियोजन विभाग को प्रेषित करेंगे।
- 2- समिति द्वारा अपने गोल के अभी तक के कार्यों का मूल्यांकन करते हुए आगामी वर्षों में यथा वर्ष 2022, वर्ष 2024 एवं वर्ष 2030 के लिए ठोस कार्य योजना वर्षवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों के साथ एक माह के अन्दर तैयार कर मुख्य सचिव, ३०प्र० शासन एवं मुख्यमंत्री कार्यालय को प्रेषित करते हुए उसकी प्रति नियोजन विभाग को भी उपलब्ध करायी जायेगी।
- 3- आगामी वर्षों के लिए अपने गोल्स के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ली जाने वाली महत्वपूर्ण योजनाओं तथा उनकी प्राप्ति हेतु निजी क्षेत्र की साक्षेदारी को चिह्नित करते हुए उनके लिए आर्थिक उपाशयों/वित्तीय संसाधनों का आंकलन करते हुए वर्ष 2020 से अपने एकशन प्लान तैयार करना।
- 4- नीति आयोग द्वारा जारी एस0डी0जी0 इण्डिया इंडेक्स में रेखांकित इंडीकेटर्स के सापेक्ष प्रदेश स्तरीय इंडीकेटर्स सुधारने हेतु प्रभावी कदम उठाना एवं समुचित आंकड़े भारत सरकार को ससमय उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी सुनिश्चित करना।
- 5- प्रदेश हेतु स्टेट इंडीकेटर्स फ्रेमवर्क तैयार करना तथा तैयार किये गये इंडीकेटर्स को नीति आयोग द्वारा तैयार किये गये डैशबोर्ड के साथ लिंक करना।
- 6- जिला स्तरीय इंडीकेटर्स के चिन्हांकन के उपरान्त इसे स्टेट इंडीकेटर्स से लिंक करते हुए नेशनल इंडीकेटर्स फ्रेमवर्क के साथ लिंक करना।

7- एस0डी0जी0 फ्रेमवर्क में अपने गोल को प्रदेश में सबसे निचली इकाई तक ले जाने का कार्य करना।

मा0 मुख्यमंत्रीजी द्वारा इस समिति की बैठक प्रत्येक तीन माह में एक बार एवं मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन द्वारा एस0डी0जी0 टास्क फोर्स की बैठक के साथ इस समिति की प्रत्येक दो माह में एक बैठक आहूत की जायेगी।

राजेन्द्र कुमार तिवारी

मुख्य सचिव।

(1)
संख्या: ७७३(१)/३५-१-२०१९ - तद् दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नीति आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली।
- 2- सलाहकार (सुश्री संयुक्ता सम्मदार), नीति आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली।
- 3- प्रमुख सचिव मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
- 4- कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
- 5- स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
- 6- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव।
- 7- समिति के सदस्यगण।
- 8- समस्त विभागाध्यक्ष, उ0प्र0 शासन।
- 9- समस्त मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी, उ0प्र0।
- 10- प्रधान महालेखाकार (जनरल एण्ड सोशल सेक्टर आडिट), उ0प्र0, इलाहाबाद।
- 11- निदेशक, दीर्घकालीन योजना प्रभाग, नियोजन विभाग, योजना भवन, लखनऊ।
- 12- संबंधित नोडल अधिकारी, राज्य योजना आयोग।
- 13- समस्त प्रभागाध्यक्ष, राज्य नियोजन संस्थान।
- 14- नियोजन अनुभाग-2/3/4 एवं राज्य योजना आयोग-1/2
- 15- निदेशक, अर्थ एवं संख्या प्रभाग।
- 16- सुश्री पीयूष एन्टोनी, सोशल स्पेशलिस्ट, यूनीसेफ, लखनऊ।
- 17- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,


(कुमार कमलेश)
अपर मुख्य सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन,
नियोजन अनुभाग-1,
संख्या- 779(10)/35-1-2019-2/(1)/2019
लखनऊ दिनांक: 15 अक्टूबर, 2019

प्रदेश में सतत विकास के लक्ष्य (एस0डी0जी0) 16 गोल्स, 169 लक्ष्यों व उनसे संबंधित इंडीकेटर्स पर आधारित हैं। मा0 मुख्यमंत्रीजी द्वारा सतत विकास गोल्स के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु दिये गये निर्देशों के क्रम में गोल संख्या-10 (असमानताओं में कमी) हेतु अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग, 30प्र0 शासन की अध्यक्षता में एस0डी0जी0 विजन- 2030, स्ट्रेटजी 2024 एवं 2022 के क्रियान्वयन हेतु निम्नवत समिति का गठन किया जाता है। यह समिति अन्तर्विभागीय समन्वय के माध्यम से कार्यवाही सम्पन्न करेगी

| अध्यक्ष | सदस्य |
|--|---------------|
| 1- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग | सदस्य |
| 2- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, पिछड़ा वर्ग कल्याण | सदस्य |
| 3- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण | सदस्य |
| 4- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, दिव्यांगजन | सदस्य |
| 5- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, महिला कल्याण विभाग | सदस्य |
| 6- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग | सदस्य |
| 7- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, कृषि विभाग | सदस्य |
| 8- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, पंचायतीराज विभाग | सदस्य |
| 9- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग | सदस्य |
| 10-अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, विधि एवं न्याय विभाग | सदस्य |
| 11-अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, कौशल विकास विभाग | सदस्य |
| 12-अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, संस्थागत वित्त विभाग | सदस्य |
| 13-अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, गृह विभाग | सदस्य |
| 14-गोल सं0-10 से संलग्न सूची के अनुसार संबंधित विभाग | विशेष आमंत्री |

उक्त समिति के निम्न कार्य होंगे:-

- 1- समिति अपने-अपने गोल्स से जुड़े हुए सभी संबंधित विभागों के साथ आवश्यकतानुसार समन्वय स्थापित करते हुए गोल्स के लक्ष्यों की पूर्ति के लिए प्रत्येक माह बैठक आयोजित करेगी। इसका कार्यवृत्त मुख्यमंत्री कार्यालय, मुख्य सचिव कार्यालय व नियोजन विभाग को प्रेषित करेंगे।
- 2- समिति द्वारा अपने गोल के अभी तक के कार्यों का मूल्यांकन करते हुए आगामी वर्षों में यथा वर्ष 2022, वर्ष 2024 एवं वर्ष 2030 के लिए ठोस कार्य योजना वर्षवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों के साथ एक माह के अन्दर तैयार कर मुख्य सचिव, 30प्र0 शासन एवं मुख्यमंत्री कार्यालय को प्रेषित करते हुए उसकी प्रति नियोजन विभाग को भी उपलब्ध करायी जायेगी।
- 3- आगामी वर्षों के लिए अपने गोल्स के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ली जाने वाली महत्वपूर्ण योजनाओं तथा उनकी प्राप्ति हेतु निजी क्षेत्र की साक्षेत्रीयों को चिन्हित करते हुए उनके लिए आर्थिक उपायों/वित्तीय संसाधनों का आंकलन करते हुए वर्ष 2020 से अपने एक्शन प्लान तैयार करना।


- 4- नीति आयोग द्वारा जारी एस0डी0जी0 इण्डिया इंडेक्स में रेखांकित इंडीकेटर्स के सापेक्ष प्रदेश स्तरीय इंडीकेटर्स सुधारने हेतु प्रभावी कदम उठाना एवं समुचित आंकड़े भारत सरकार को समस्या उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी सुनिश्चित करना।
- 5- प्रदेश हेतु स्टेट इंडीकेटर्स फ्रेमवर्क तैयार करना तथा तैयार किये गये इंडीकेटर्स को नीति आयोग द्वारा तैयार किये गये डैशबोर्ड के साथ लिंक करना।
- 6- जिला स्तरीय इंडीकेटर्स के चिन्हांकन के उपरान्त इसे स्टेट इंडीकेटर्स से लिंक करते हुए नेशनल इंडीकेटर्स फ्रेमवर्क के साथ लिंक करना।
- 7- एस0डी0जी0 फ्रेमवर्क में अपने गोल को प्रदेश में सबसे निचली इकाई तक ले जाने का कार्य चरणबद्ध तरीके से यथा- सर्वप्रथम जनपद स्तर पर फिर नगर/ग्राम पंचायत स्तर पर पहुंचाने का कार्य करना।
मा0 मुख्यमंत्रीजी द्वारा इस समिति की बैठक प्रत्येक तीन माह में एक बार एवं मुख्य सचिव, 30प्र0 शासन द्वारा एस0डी0जी0 टास्क फोर्स की बैठक के साथ इस समिति की प्रत्येक दो माह में एक बैठक आहूत की जायेगी।

राजेन्द्र कुमार तिवारी
मुख्य सचिव।

(1)
संख्या: ७७१(१०)/३५-१-२०१९ - तद् दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नीति आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली।
- 2- सलाहकार (सुश्री संयुक्ता सम्मदार), नीति आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली।
- 3- प्रमुख सचिव मा0 मुख्यमंत्री, 30प्र0 शासन।
- 4- कृषि उत्पादन आयुक्त, 30प्र0 शासन।
- 5- स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, 30प्र0 शासन।
- 6- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव।
- 7- समिति के सदस्यगण।
- 8- समस्त विभागाध्यक्ष, 30प्र0 शासन।
- 9- समस्त मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी, 30प्र0।
- 10- प्रधान महालेखाकार (जनरल एण्ड सोशल सेक्टर आडिट), 30प्र0, इलाहाबाद।
- 11- निदेशक, दीर्घकालीन योजना प्रभाग, नियोजन विभाग, योजना भवन, लखनऊ।
- 12- संबंधित नोडल अधिकारी, राज्य योजना आयोग।
- 13- समस्त प्रभागाध्यक्ष, राज्य नियोजन संस्थान।
- 14- नियोजन अनुभाग-2/3/4 एवं राज्य योजना आयोग-1/2
- 15- निदेशक, अर्थ एवं संचया प्रभाग।
- 16- सुश्री पीयूष एन्टोनी, सोशल स्पेशलिस्ट, यूनीसेफ, लखनऊ।
- 17- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

 (कुमार कर्मलाश)
 अपर मुख्य सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन,
 नियोजन अनुभाग-1,
 संख्या- 779(11)/35-1-2019-2/(1)/2019
 लखनऊ दिनांक: 15 अक्टूबर , 2019

प्रदेश में सतत विकास के लक्ष्य (एस0डी0जी0) 16 गोल्स, 169 लक्ष्यों व उनसे संबंधित इंडीकेटर्स पर आधारित हैं। मा0 मुख्यमंत्रीजी द्वारा सतत विकास गोल्स के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु दिये गये निर्देशों के क्रम में गोल संख्या-11 (संवहनीय शहर एवं समुदाय) हेतु अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में एस0डी0जी0 विजन- 2030, स्ट्रेटजी 2024 एवं 2022 के क्रियान्वयन हेतु निम्नवत समिति का गठन किया जाता है। यह समिति अन्तर्विभागीय समन्वय के माध्यम से कार्यवाही सम्पन्न करेगी।

| | |
|--|---------------|
| 1- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग | अध्यक्ष |
| 2- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग | सदस्य |
| 3- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, परिवहन विभाग | सदस्य |
| 4- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग | सदस्य |
| 5- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, पर्यटन विभाग | सदस्य |
| 6- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, संस्कृति विभाग | सदस्य |
| 7- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, राजस्व (उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण) | सदस्य |
| 8- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग | सदस्य |
| 9- गोल सं0-11 से संलग्न सूची के अनुसार संबंधित विभाग | विशेष आमंत्री |

उक्त समिति के निम्न कार्य होंगे:-

- समिति अपने-अपने गोल्स से जुड़े हुए सभी संबंधित विभागों के साथ आवश्यकतानुसार समन्वय स्थापित करते हुए गोल्स के लक्ष्यों की पूर्ति के लिए प्रत्येक माह बैठक आयोजित करेगी। इसका कार्यवृत्त मुख्यमंत्री कार्यालय, मुख्य सचिव कार्यालय व नियोजन विभाग को प्रेषित करेंगे।
- समिति द्वारा अपने गोल के अभी तक के कार्यों का मूल्यांकन करते हुए आगामी वर्षों में यथा वर्ष 2022, वर्ष 2024 एवं वर्ष 2030 के लिए ठोस कार्य योजना वर्षवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों के साथ एक माह के अन्दर तैयार कर मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन एवं मुख्यमंत्री कार्यालय को प्रेषित करते हुए उसकी प्रति नियोजन विभाग को भी उपलब्ध करायी जायेगी।
- आगामी वर्षों के लिए अपने गोल्स के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ली जाने वाली महत्वपूर्ण योजनाओं तथा उनकी प्राप्ति हेतु निजी क्षेत्र की साक्षेत्रीय को चिह्नित करते हुए उनके लिए आर्थिक उपाशयों/वित्तीय संसाधनों का आंकलन करते हुए वर्ष 2020 से अपने एक्शन प्लान तैयार करना।
- नीति आयोग द्वारा जारी एस0डी0जी0 इण्डिया इंडेक्स में रेखांकित इंडीकेटर्स के सापेक्ष प्रदेश स्तरीय इंडीकेटर्स सुधारने हेतु प्रभावी कदम उठाना एवं समुचित आंकड़े भारत सरकार को समर्पय उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी सुनिश्चित करना।
- प्रदेश हेतु स्टेट इंडीकेटर्स फ्रेमवर्क तैयार करना तथा तैयार किये गये इंडीकेटर्स को नीति आयोग द्वारा तैयार किये गये डैशबोर्ड के साथ लिंक करना।
- समिति जिला स्तरीय इंडीकेटर्स के चिन्हांकन के उपरान्त इसे स्टेट इंडीकेटर्स से लिंक करते हुए नेशनल इंडीकेटर्स फ्रेमवर्क के साथ लिंक करेंगी।


- 7- एस0डी0जी0 फ्रेमवर्क में अपने गोल को प्रदेश में सबसे निचली इकाई तक ले जाने का कार्य कार्य करना ।
मा0 मुख्यमंत्रीजी द्वारा इस समिति की बैठक प्रत्येक तीन माह में एक बार एवं मुख्य सचिव, ३०प्र०
शासन द्वारा एस0डी0जी0 टास्क फोर्स की बैठक के साथ इस समिति की प्रत्येक दो माह में एक बैठक आहूत की
जायेगी।

राजेन्द्र कुमार तिवारी
मुख्य सचिव।

⁽¹⁾
संख्या: ७७९(१)/३५-१-२०१९ - तद् दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्ननिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नीति आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली।
- 2- सलाहकार (सुश्री संयुक्ता सम्मदार), नीति आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली।
- 3- प्रमुख सचिव मा० मुख्यमंत्री, ३०प्र० शासन।
- 4- कृषि उत्पादन आयुक्त, ३०प्र० शासन।
- 5- स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, ३०प्र० शासन।
- 6- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव।
- 7- समिति के सदस्यगण।
- 8- समस्त विभागाध्यक्ष, ३०प्र० शासन।
- 9- समस्त मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी, ३०प्र०।
- 10- प्रधान महालेखाकार (जनरल एण्ड सोशल सेक्टर आडिट), ३०प्र०, इलाहाबाद।
- 11- निदेशक, दीर्घकालीन योजना प्रभाग, नियोजन विभाग, योजना भवन, लखनऊ।
- 12- संबंधित नोडल अधिकारी, राज्य योजना आयोग।
- 13- समस्त प्रभागाध्यक्ष, राज्य नियोजन संस्थान।
- 14- नियोजन अनुभाग-2/3/4 एवं राज्य योजना आयोग-1/2
- 15- निदेशक, अर्थ एवं संख्या प्रभाग।
- 16- सुश्री पीयूष एन्टोनी, सोशल स्पेशलिस्ट, यूनीसेफ, लखनऊ।
- 17- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कुमार कमलेश)
अपर मुख्य सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन,
 नियोजन अनुभाग-1,
 संख्या- 779(12)/35-1-2019-2/(1)/2019
 लखनऊ दिनांक: 15 अक्टूबर , 2019

प्रदेश में सतत विकास के लक्ष्य (एस0डी0जी0) 16 गोल्स, 169 लक्ष्यों व उनसे संबंधित इंडीकेटर्स पर आधारित हैं। मा0 मुख्यमंत्रीजी द्वारा सतत विकास गोल्स के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु दिये गये निर्देशों के क्रम में गोल संख्या-12 (संवहनीय उपभोग और उत्पादन) हेतु अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, पर्यावरण विभाग, ३०प्र० शासन की अध्यक्षता में एस0डी0जी0 विजन- 2030, स्ट्रेट्जी 2024 एवं 2022 के क्रियान्वयन हेतु निम्नवत समिति का गठन किया जाता है। यह समिति अन्तर्विभागीय समन्वय के माध्यम से कार्यवाही सम्पन्न करेगी

| | |
|---|---------------|
| 1- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, पर्यावरण विभाग | अध्यक्ष |
| 2- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग | सदस्य |
| 3- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग विभाग | सदस्य |
| 4- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वन विभाग | सदस्य |
| 5- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, कृषि विभाग | सदस्य |
| 6- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वैकल्पिक ऊर्जा विभाग | सदस्य |
| 7- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग | सदस्य |
| 8- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (रिमोट सेंसिंग) | सदस्य |
| 9- गोल सं0-12 से संलग्न सूची के अनुसार संबंधित विभाग | विशेष आमंत्री |

उक्त समिति के निम्न कार्य होंगे:-

- 1- समिति अपने-अपने गोल्स से जुड़े हुए सभी संबंधित विभागों के साथ आवश्यकतानुसार समन्वय स्थापित करते हुए गोल्स के लक्ष्यों की पूर्ति के लिए प्रत्येक माह बैठक आयोजित करेगी। इसका कार्यवृत्त मुख्यमंत्री कार्यालय, मुख्य सचिव कार्यालय व नियोजन विभाग को प्रेषित करेंगे।
- 2- समिति द्वारा अपने गोल के अभी तक के कार्यों का मूल्यांकन करते हुए आगामी वर्षों में यथा वर्ष 2022, वर्ष 2024 एवं वर्ष 2030 के लिए ठोस कार्य योजना वर्षवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों के साथ एक माह के अन्दर तैयार कर मुख्य सचिव, ३०प्र० शासन एवं मुख्यमंत्री कार्यालय को प्रेषित करते हुए उसकी प्रति नियोजन विभाग को भी उपलब्ध करायी जायेगी।
- 3- आगामी वर्षों के लिए अपने गोल्स के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ली जाने वाली महत्वपूर्ण योजनाओं तथा उनकी प्राप्ति हेतु निजी क्षेत्र की साक्षेत्रारी को चिन्हित करते हुए उनके लिए आर्थिक उपाशयों/वित्तीय संसाधनों का आंकलन करते हुए वर्ष 2020 से अपने एकशन प्लान तैयार करना।
- 4- नीति आयोग द्वारा जारी एस0डी0जी0 इण्डिया इंडेक्स में रेखांकित इंडीकेटर्स के सापेक्ष प्रदेश स्तरीय इंडीकेटर्स सुधारने हेतु प्रभावी कदम उठाना एवं समुचित आंकड़े भारत सरकार को ससमय उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी सुनिश्चित करना।
- 5- प्रदेश हेतु स्टेट इंडीकेटर्स फ्रेमवर्क तैयार करना तथा तैयार किये गये इंडीकेटर्स को नीति आयोग द्वारा तैयार किये गये डैशबोर्ड के साथ लिंक करना।
- 6- जिला स्तरीय इंडीकेटर्स के चिन्हांकन के उपरान्त इसे स्टेट इंडीकेटर्स से लिंक करते हुए नेशनल इंडीकेटर्स फ्रेमवर्क के साथ लिंक करना।

- 7- एस0डी0जी0 फ्रेमवर्क में अपने गोल को प्रदेश में सबसे निचली इकाई तक ले जाने का कार्य चरणबद्ध तरीके से यथा- सर्वप्रथम जनपद स्तर पर फिर नगर/ग्राम पंचायत स्तर पर पहुंचाने का कार्य करना।
मा0 मुख्यमंत्रीजी द्वारा इस समिति की बैठक प्रत्येक तीन माह में एक बार एवं मुख्य सचिव, 30प्र0 शासन द्वारा एस0डी0जी0 टास्क फोर्स की बैठक के साथ इस समिति की प्रत्येक दो माह में एक बैठक आहूत की जायेगी।

राजेन्द्र कुमार तिवारी

मुख्य सचिव।

⁽¹⁾
संख्या: 779(12)/35-1-2019 - तद् दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नीति आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली।
- 2- सलाहकार (सुश्री संयुक्ता सम्मदार), नीति आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली।
- 3- प्रमुख सचिव मा0 मुख्यमंत्री, 30प्र0 शासन।
- 4- कृषि उत्पादन आयुक्त, 30प्र0 शासन।
- 5- स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, 30प्र0 शासन।
- 6- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव।
- 7- समिति के सदस्यगण।
- 8- समस्त विभागाध्यक्ष, 30प्र0 शासन।
- 9- समस्त मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी, 30प्र0।
- 10- प्रधान महालेखाकार (जनरल एण्ड सोशल सेक्टर आडिट), 30प्र0, इलाहाबाद।
- 11- निदेशक, दीर्घकालीन योजना प्रभाग, नियोजन विभाग, योजना भवन, लखनऊ।
- 12- संबंधित नोडल अधिकारी, राज्य योजना आयोग।
- 13- समस्त प्रभागाध्यक्ष, राज्य नियोजन संस्थान।
- 14- नियोजन अनुभाग-2/3/4 एवं राज्य योजना आयोग-1/2
- 15- निदेशक, अर्थ एवं संख्या प्रभाग।
- 16- सुश्री पीयूष एन्टोनी, सोशल स्पेशलिस्ट, यूनीसेफ, लखनऊ।
- 17- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कुमार कमलेश)

अपर मुख्य सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन,
नियोजन अनुभाग-1,
संख्या- 779(13)/35-1-2019-2/(1)/2019
लखनऊ दिनांक: १५ अक्टूबर , 2019

प्रदेश में सतत विकास के लक्ष्य (एस0डी0जी0) 16 गोल्स, 169 लक्ष्यों व उनसे संबंधित इंडीकेटर्स पर आधारित हैं। मा० मुख्यमंत्रीजी द्वारा सतत विकास गोल्स के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु दिये गये निर्देशों के क्रम में गोल संख्या-13 (जलवायु परिवर्तन) हेतु अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, पर्यावरण विभाग, ३०प्र० शासन की अध्यक्षता में एस0डी0जी0 विजन- 2030, स्ट्रेटजी 2024 एवं 2022 के क्रियान्वयन हेतु निम्नवत समिति का गठन किया जाता है। यह समिति अन्तर्विभागीय समन्वय के माध्यम से कार्यवाही सम्पन्न करेगी

| | |
|--|---------------|
| 1- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, पर्यावरण विभाग | अध्यक्ष |
| 2- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग | सदस्य |
| 3- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, राजस्व (३०प्र० राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण) | सदस्य |
| 4- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, बेसिक शिक्षा विभाग | सदस्य |
| 5- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग | सदस्य |
| 6- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वन विभाग | सदस्य |
| 7- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग | सदस्य |
| 8- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, पंचायतीराज विभाग | सदस्य |
| 9- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वैकल्पिक ऊर्जा | सदस्य |
| 10- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग | सदस्य |
| 11- गोल सं०-१३ से संलग्न सूची के अनुसार संबंधित विभाग | विशेष आमंत्री |

उक्त समिति के निम्न कार्य होंगे:-

- समिति अपने-अपने गोल्स से जुड़े हुए सभी संबंधित विभागों के साथ आवश्यकतानुसार समन्वय स्थापित करते हुए गोल्स के लक्ष्यों की पूर्ति के लिए प्रत्येक माह बैठक आयोजित करेगी। इसका कार्यवृत्त मुख्यमंत्री कार्यालय, मुख्य सचिव कार्यालय व नियोजन विभाग को प्रेषित करेंगे।
- समिति द्वारा अपने गोल के अभी तक के कार्यों का मूल्यांकन करते हुए आगामी वर्षों में यथा वर्ष 2022, वर्ष 2024 एवं वर्ष 2030 के लिए ठोस कार्य योजना वर्षवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों के साथ एक माह के अन्दर तैयार कर मुख्य सचिव, ३०प्र० शासन एवं मुख्यमंत्री कार्यालय को प्रेषित करते हुए उसकी प्रति नियोजन विभाग को भी उपलब्ध करायी जायेगी।
- आगामी वर्षों के लिए अपने गोल्स के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ली जाने वाली महत्वपूर्ण योजनाओं तथा उनकी प्राप्ति हेतु निजी क्षेत्र की साक्षेदारी को चिन्हित करते हुए उनके लिए आर्थिक उपाशयों/वित्तीय संसाधनों का आंकलन करते हुए वर्ष 2020 से अपने एकशन प्लान तैयार करना।
- नीति आयोग द्वारा जारी एस0डी0जी0 इण्डिया इंडेक्स में रेखांकित इंडीकेटर्स के सापेक्ष प्रदेश स्तरीय इंडीकेटर्स सुधारने हेतु प्रभावी कदम उठाना एवं समुचित आंकड़े भारत सरकार को समझ उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी सुनिश्चित करना।
- प्रदेश हेतु स्टेट इंडीकेटर्स फ्रेमवर्क तैयार करना तथा तैयार किये गये इंडीकेटर्स को नीति आयोग द्वारा तैयार किये गये डैशबोर्ड के साथ लिंक करना।

- 6- जिला स्तरीय इंडीकेटर्स के चिन्हांकन के उपरान्त इसे स्टेट इंडीकेटर्स से लिंक करते हुए नेशनल इंडीकेटर्स फ्रेमवर्क के साथ लिंक करना।
- 7- एस0डी0जी0 फ्रेमवर्क में अपने गोल को प्रदेश में सबसे निचली इकाई तक ले जाने का कार्य चरणबद्ध तरीके से यथा- सर्वप्रथम जनपद स्तर पर फिर नगर/ग्राम पंचायत स्तर पर पहुंचाने का कार्य करना।
मा० मुख्यमंत्रीजी द्वारा इस समिति की बैठक प्रत्येक तीन माह में एक बार एवं मुख्य सचिव, ३०प्र० शासन द्वारा एस0डी0जी0 टास्क फोर्स की बैठक के साथ इस समिति की प्रत्येक दो माह में एक बैठक आहूत की जायेगी।

राजेन्द्र कुमार तिवारी
मुख्य सचिव।

(i)
संख्या: ७७७(३)/३५-१-२०१९ - तद् दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नीति आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली।
- 2- सलाहकार (सुश्री संयुक्ता सम्मदार), नीति आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली।
- 3- प्रमुख सचिव मा० मुख्यमंत्री, ३०प्र० शासन।
- 4- कृषि उत्पादन आयुक्त, ३०प्र० शासन।
- 5- स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, ३०प्र० शासन।
- 6- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव।
- 7- समिति के सदस्यगण।
- 8- समस्त विभागाध्यक्ष, ३०प्र० शासन।
- 9- समस्त मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी, ३०प्र०।
- 10- प्रधान महालेखाकार (जनरल एण्ड सोशल सेक्टर आडिट), ३०प्र०, इलाहाबाद।
- 11- निदेशक, दीर्घकालीन योजना प्रभाग, नियोजन विभाग, योजना भवन, लखनऊ।
- 12- संबंधित नोडल अधिकारी, राज्य योजना आयोग।
- 13- समस्त प्रभागाध्यक्ष, राज्य नियोजन संस्थान।
- 14- नियोजन अनुभाग-2/3/4 एवं राज्य योजना आयोग-1/2
- 15- निदेशक, अर्थ एवं संख्या प्रभाग।
- 16- सुश्री पीयूष एन्टोनी, सोशल स्पेशलिस्ट, यूनीसेफ, लखनऊ।
- 17- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

 (कुमार कमलेश)
 अपर मुख्य सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन,
नियोजन अनुभाग-1,
संख्या- 779(14)/35-1-2019-2/(1)/2019
लखनऊ दिनांक: 15 अक्टूबर, 2019

प्रदेश में सतत विकास के लक्ष्य (एस0डी0जी0) 16 गोल्स, 169 लक्ष्यों व उनसे संबंधित इंडीकेटर्स पर आधारित हैं। मा0 मुख्यमंत्रीजी द्वारा सतत विकास गोल्स के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु दिये गये निर्देशों के क्रम में गोल संख्या-15 (थलीय जीवों की सुरक्षा) हेतु अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वन विभाग, ३०प्र० शासन की अध्यक्षता में एस0डी0जी0 विजन- 2030, स्ट्रेटजी 2024 एवं 2022 के क्रियान्वयन हेतु निम्नवत् समिति का गठन किया जाता है। यह समिति अन्तर्विभागीय समन्वय के माध्यम से कार्यवाही सम्पन्न करेगी।

| | अध्यक्ष |
|---|---------------|
| 1- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वन विभाग | सदस्य |
| 2- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, कृषि विभाग | सदस्य |
| 3- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, पंचायतीराज विभाग | सदस्य |
| 4- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग | सदस्य |
| 5- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, सिंचाई (भूमि सुधार/परती भूमि) विभाग | सदस्य |
| 6- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, पर्यावरण विभाग | सदस्य |
| 7- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, खनन विभाग | सदस्य |
| 8- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (रिमोट सेंसिंग) | सदस्य |
| 9- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव औद्योगिक विकास | सदस्य |
| 10- गोल सं0-15 से संलग्न सूची के अनुसार संबंधित विभाग | विशेष आमंत्री |

उक्त समिति के निम्न कार्य होंगे:-

- समिति अपने-अपने गोल्स से जुड़े हुए सभी संबंधित विभागों के साथ आवश्यकतानुसार समन्वय स्थापित करते हुए गोल्स के लक्ष्यों की पूर्ति के लिए प्रत्येक माह बैठक आयोजित करेगी। इसका कार्यवृत्त मुख्यमंत्री कार्यालय, मुख्य सचिव कार्यालय व नियोजन विभाग को प्रेषित करेंगे।
- समिति द्वारा अपने गोल के अभी तक के कार्यों का मूल्यांकन करते हुए आगामी वर्षों में यथा वर्ष 2022, वर्ष 2024 एवं वर्ष 2030 के लिए ठोस कार्य योजना वर्षवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों के साथ एक माह के अन्दर तैयार कर मुख्य सचिव, ३०प्र० शासन एवं मुख्यमंत्री कार्यालय को प्रेषित करते हुए उसकी प्रति नियोजन विभाग को भी उपलब्ध करायी जायेगी।
- आगामी वर्षों के लिए अपने गोल्स के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ली जाने वाली महत्वपूर्ण योजनाओं तथा उनकी प्राप्ति हेतु निजी क्षेत्र की साक्षेदारी को चिन्हित करते हुए उनके लिए आर्थिक उपाशयों/वित्तीय संसाधनों का आंकलन करते हुए वर्ष 2020 से अपने एक्शन प्लान तैयार करना।
- नीति आयोग द्वारा जारी एस0डी0जी0 इण्डिया इंडेक्स में रेखांकित इंडीकेटर्स के सापेक्ष प्रदेश स्तरीय इंडीकेटर्स सुधारने हेतु प्रभावी कदम उठाना एवं समुचित आंकड़े भारत सरकार को सम्मय उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी सुनिश्चित करना।
- प्रदेश हेतु स्टेट इंडीकेटर्स फ्रेमवर्क तैयार करना तथा तैयार किये गये इंडीकेटर्स को नीति आयोग द्वारा तैयार किये गये डैशबोर्ड के साथ लिंक करना।

- 6- जिला स्तरीय इंडीकेटर्स के चिन्हांकन के उपरान्त इसे स्टेट इंडीकेटर्स से लिंक करते हुए नेशनल इंडीकेटर्स फ्रेमवर्क के साथ लिंक करना।
- 7- एस0डी0जी0 फ्रेमवर्क में अपने गोल को प्रदेश में सबसे निचली इकाई तक ले जाने का कार्य चरणबद्ध तरीके से यथा- सर्वप्रथम जनपद स्तर पर फिर नगर/ग्राम पंचायत स्तर पर पहुंचाने का कार्य करना।
मा० मुख्यमंत्रीजी द्वारा इस समिति की बैठक प्रत्येक तीन माह में एक बार एवं मुख्य सचिव, ३०प्र० शासन द्वारा एस0डी0जी0 टास्क फोर्स की बैठक के साथ इस समिति की प्रत्येक दो माह में एक बैठक आहूत की जायेगी।

राजेन्द्र कुमार तिवारी
मुख्य सचिव।

(i)
संख्या: ७७५(१)/३५-१-२०१९ - तद् दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नीति आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली।
- 2- सलाहकार (सुश्री संयुक्ता सम्मदार), नीति आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली।
- 3- प्रमुख सचिव मा० मुख्यमंत्री, ३०प्र० शासन।
- 4- कृषि उत्पादन आयुक्त, ३०प्र० शासन।
- 5- स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, ३०प्र० शासन।
- 6- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव।
- 7- समिति के सदस्यगण।
- 8- समस्त विभागाध्यक्ष, ३०प्र० शासन।
- 9- समस्त मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी, ३०प्र०।
- 10- प्रधान महालेखाकार (जनरल एण्ड सोशल सेक्टर आडिट), ३०प्र०, इलाहाबाद।
- 11- निदेशक, दीर्घकालीन योजना प्रभाग, नियोजन विभाग, योजना भवन, लखनऊ।
- 12- संबंधित नोडल अधिकारी, राज्य योजना आयोग।
- 13- समस्त प्रभागाध्यक्ष, राज्य नियोजन संस्थान।
- 14- नियोजन अनुभाग-2/3/4 एवं राज्य योजना आयोग-1/2
- 15- निदेशक, अर्ध एवं संचया प्रभाग।
- 16- सुश्री पीयूष एन्टोनी, सोशल स्पेशलिस्ट, यूनीसेफ, लखनऊ।
- 17- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
४
(कुमार कमलेश)
अपर मुख्य सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन,
 नियोजन अनुभाग-1,
 संख्या- 779(15)/35-1-2019-2/(1)/2019
 लखनऊ दिनांक: 15 अक्टूबर , 2019

प्रदेश में सतत विकास के लक्ष्य (एस0डी0जी0) 16 गोल्स, 169 लक्ष्यों व उनसे संबंधित इंडीकेटर्स पर आधारित हैं। मा० मुख्यमंत्रीजी द्वारा सतत विकास गोल्स के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु दिये गये निर्देशों के क्रम में गोल संख्या-16 (शांति, न्याय और सतत संस्थाएं) हेतु अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, गृह विभाग, ३०प्र० शासन की अध्यक्षता में एस0डी0जी0 विजन- 2030, स्ट्रेटजी 2024 एवं 2022 के क्रियान्वयन हेतु निम्नवत समिति का गठन किया जाता है। यह समिति अन्तर्विभागीय समन्वय के माध्यम से कार्यवाही सम्पन्न करेगी।

| | |
|---|---------------|
| 1- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, गृह विभाग | अध्यक्ष |
| 2- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग | सदस्य |
| 3- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, महिला कल्याण एवं बाल विकास पुष्टाहार विभाग | सदस्य |
| 4- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, श्रम विभाग | सदस्य |
| 5- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, विधि एवं न्याय | सदस्य |
| 6- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, पंचायत | सदस्य |
| 7- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नगर विकास (स्थानीय शहरी निकाय) | सदस्य |
| 8- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, सरकंता | सदस्य |
| 9- गोल सं0-16 से संलग्न सूची के अनुसार संबंधित विभाग | विशेष आमंत्री |

उक्त समिति के निम्न कार्य होंगे:-

- समिति अपने-अपने गोल्स से जुड़े हुए सभी संबंधित विभागों के साथ आवश्यकतानुसार समन्वय स्थापित करते हुए गोल्स के लक्ष्यों की पूर्ति के लिए प्रत्येक माह बैठक आयोजित करेगी। इसका कार्यवृत्त मुख्यमंत्री कार्यालय, मुख्य सचिव कार्यालय व नियोजन विभाग को प्रेषित करेंगे।
- समिति द्वारा अपने गोल के अभी तक के कार्यों का मूल्यांकन करते हुए आगामी वर्षों में यथा वर्ष 2022, वर्ष 2024 एवं वर्ष 2030 के लिए ठोस कार्य योजना वर्षवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों के साथ एक माह के अन्दर तैयार कर मुख्य सचिव, ३०प्र० शासन एवं मुख्यमंत्री कार्यालय को प्रेषित करते हुए उसकी प्रति नियोजन विभाग को भी उपलब्ध करायी जायेगी।
- आगामी वर्षों के लिए अपने गोल्स के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ली जाने वाली महत्वपूर्ण योजनाओं तथा उनकी प्राप्ति हेतु निजी क्षेत्र की साक्षेदारी को चिन्हित करते हुए उनके लिए आर्थिक उपाशयों/वित्तीय संसाधनों का आंकलन करते हुए वर्ष 2020 से अपने एकशन प्लान तैयार करना।
- नीति आयोग द्वारा जारी एस0डी0जी0 इण्डिया इंडेक्स में रेखांकित इंडीकेटर्स के सापेक्ष प्रदेश स्तरीय इंडीकेटर्स सुधारने हेतु प्रभावी कदम उठाना एवं समुचित आंकड़े भारत सरकार को ससमय उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी सुनिश्चित करना।
- प्रदेश हेतु स्टेट इंडीकेटर्स फ्रेमवर्क तैयार करना तथा तैयार किये गये इंडीकेटर्स को नीति आयोग द्वारा तैयार किये गये डैशबोर्ड के साथ लिंक करना।
- जिला स्तरीय इंडीकेटर्स के चिन्हांकन के उपरान्त इसे स्टेट इंडीकेटर्स से लिंक करते हुए नेशनल इंडीकेटर्स फ्रेमवर्क के साथ लिंक करना।

- 7- एस0डी0जी0 फ्रेमवर्क में अपने गोल को प्रदेश में सबसे निचली इकाई तक ले जाने का कार्य चरणबद्ध तरीके से यथा- सर्वप्रथम जनपद स्तर पर फिर नगर/ग्राम पंचायत स्तर पर पहुंचाने का कार्य करना। मा० मुख्यमंत्रीजी द्वारा इस समिति की बैठक प्रत्येक तीन माह में एक बार एवं मुख्य सचिव, ३०प्र० शासन द्वारा एस0डी0जी0 टास्क फोर्स की बैठक के साथ इस समिति की प्रत्येक दो माह में एक बैठक आहूत की जायेगी।

राजेन्द्र कुमार तिवारी
मुख्य सचिव।

⁽¹⁾
संख्या: ७७१(५)/३५-१-२०१९ - तद् दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नीति आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली।
- 2- सलाहकार (सुश्री संयुक्ता सम्मदार), नीति आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली।
- 3- प्रमुख सचिव मा० मुख्यमंत्री, ३०प्र० शासन।
- 4- कृषि उत्पादन आयुक्त, ३०प्र० शासन।
- 5- स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, ३०प्र० शासन।
- 6- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव।
- 7- समिति के सदस्यगण।
- 8- समस्त विभागाध्यक्ष, ३०प्र० शासन।
- 9- समस्त मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी, ३०प्र०।
- 10- प्रधान महालेखाकार (जनरल एण्ड सोशल सेक्टर आडिट), ३०प्र०, इलाहाबाद।
- 11- निदेशक, दीर्घकालीन योजना प्रभाग, नियोजन विभाग, योजना भवन, लखनऊ।
- 12- संबंधित नोडल अधिकारी, राज्य योजना आयोग।
- 13- समस्त प्रभागाध्यक्ष, राज्य नियोजन संस्थान।
- 14- नियोजन अनुभाग-2/3/4 एवं राज्य योजना आयोग-1/2
- 15- निदेशक, अर्थ एवं संख्या प्रभाग।
- 16- सुश्री पीयूष एन्टोनी, सोशल स्पेशलिस्ट, यूनीसेफ, लखनऊ।
- 17- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कुमार कमलेश)
अपर मुख्य सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन,
नियोजन अनुभाग-1,
संख्या- 779(16)/35-1-2019-2/(1)/2019
लखनऊ दिनांक: 15 अक्टूबर , 2019

प्रदेश में सतत विकास के लक्ष्य (एस0डी0जी0) 16 गोल्स, 169 लक्ष्यों व उनसे संबंधित इंडीकेटर्स पर आधारित हैं। मा0 मुख्यमंत्रीजी द्वारा सतत विकास गोल्स के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु दिये गये निर्देशों के क्रम में गोल संख्या-17 (लक्ष्यों हेतु भागीदारी) हेतु अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, ३०प्र० शासन की अध्यक्षता में एस0डी0जी0 विजन- 2030, स्ट्रेटजी 2024 एवं 2022 के क्रियान्वयन हेतु निम्नवत समिति का गठन किया जाता है। यह समिति अन्तर्विभागीय समन्वय के माध्यम से कार्यवाही सम्पन्न करेगी

| | |
|---|---------------|
| 1- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त विभाग | अध्यक्ष |
| 2- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वाणिज्य कर विभाग | सदस्य |
| 3- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, आबकारी विभाग | सदस्य |
| 4- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, संस्थागत वित्त विभाग | सदस्य |
| 5- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग | सदस्य |
| 6- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, सिंचाई विभाग | सदस्य |
| 7- निदेशक, अर्थ एवं संख्या प्रभाग (नियोजन विभाग) | सदस्य |
| 8- गोल सं0-17 से संलग्न सूची के अनुसार संबंधित विभाग | विशेष आमंत्री |

उक्त समिति के निम्न कार्य होंगे:-

- 1- समिति अपने-अपने गोल्स से जुड़े हुए सभी संबंधित विभागों के साथ आवश्यकतानुसार समन्वय स्थापित करते हुए गोल्स के लक्ष्यों की पूर्ति के लिए प्रत्येक माह बैठक आयोजित करेगी। इसका कार्यवृत्त मुख्यमंत्री कार्यालय, मुख्य सचिव कार्यालय व नियोजन विभाग को प्रेषित करेंगे।
- 2- समिति द्वारा अपने गोल के अभी तक के कार्यों का मूल्यांकन करते हुए आगामी वर्षों में यथा वर्ष 2022, वर्ष 2024 एवं वर्ष 2030 के लिए ठोस कार्य योजना वर्षवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों के साथ एक माह के अन्दर तैयार कर मुख्य सचिव, ३०प्र० शासन एवं मुख्यमंत्री कार्यालय को प्रेषित करते हुए उसकी प्रति नियोजन विभाग को भी उपलब्ध करायी जायेगी।
- 3- आगामी वर्षों के लिए अपने गोल्स के उद्देश्यों की पूर्ति के साथ प्रदेश के समग्र विकास के लिए समस्त 15 गोलों में ली जाने वाली महत्वपूर्ण योजनाओं तथा उनकी प्राप्ति हेतु निजी क्षेत्र की साक्षेदारी को चिन्हित करते हुए उनके लिए आर्थिक उपायों/वित्तीय संसाधनों का आंकलन के साथ वर्ष 2020 से प्रदेश के लिए नियोजन विभाग एवं समस्त नोडल विभागों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए एस0डी0जी0 फ्रेमवर्क में एकशन प्लान तैयार करना।

मा० मुख्यमंत्रीजी द्वारा इस समिति की बैठक प्रत्येक तीन माह में एक बार एवं मुख्य सचिव, ३०प्र० शासन द्वारा एस०डी०जी० टास्क फोर्स की बैठक के साथ इस समिति की प्रत्येक दो माह में एक बैठक आहूत की जायेगी।

राजेन्द्र कुमार तिवारी
मुख्य सचिव।

(१)
संख्या: ७७९/८/३५-१-२०१९ - तद् दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नीति आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली।
- 2- सलाहकार (सुश्री संयुक्ता सम्मदार), नीति आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली।
- 3- प्रमुख सचिव मा० मुख्यमंत्री, ३०प्र० शासन।
- 4- कृषि उत्पादन आयुक्त, ३०प्र० शासन।
- 5- स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, ३०प्र० शासन।
- 6- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव।
- 7- समिति के सदस्यगण।
- 8- समस्त विभागाध्यक्ष, ३०प्र० शासन।
- 9- समस्त मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी, ३०प्र०।
- 10- प्रधान महालेखाकार (जनरल एण्ड सोशल सेक्टर आडिट), ३०प्र०, इलाहाबाद।
- 11- निदेशक, दीर्घकालीन योजना प्रभाग, नियोजन विभाग, योजना भवन, लखनऊ।
- 12- संबंधित नोडल अधिकारी, राज्य योजना आयोग।
- 13- समस्त प्रभागाध्यक्ष, राज्य नियोजन संस्थान।
- 14- नियोजन अनुभाग-२/३/४ एवं राज्य योजना आयोग-१/२
- 15- निदेशक, अर्थ एवं संख्या प्रभाग।
- 16- सुश्री पीयूष एन्टोनी, सोशल स्पेशलिस्ट, यूनीसेफ, लखनऊ।
- 17- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कुमार कमलेश)
अपर मुख्य सचिव।